ITO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY

> MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (Central Board of Direct Taxes)

> > New Delhi, the 8th April, 2010.

Notification (Income-tax)

(E).-In exercise of the powers conferred by clause (48) of section 2 of S.O. the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with dause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income Tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of section 2 of the said Act, namely:-

(a) name of the bond

-ten year Deep Discount Bond (Zero Coupon Bord) of Rural Electrification

Corporation Limited(REC);

(b) period of life of the bond

-ten years;

(c) the time schedule of the issue of bond

-to be issued on or before the 31st day

of March, 2011;

(d) the amount to be paid on maturity or redemption of the bond

-thirty thousand rupees for each bond;

(e) the discount

-4,736.25 crofes

(f) the number of bonds to to be issued

-twenty five lakhs.

(Padam Singh)

Under Secretary to the Government of India

To The Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri Industrial Area, Near Rajouri Garden, New Delhi

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना (आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल, 2010

(अ) आयकर नियमावली, 1962 के नियम \$ख के उप नियम(3) तथा उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) तथा खंड (v) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनार्थ जीरो कूपन बंधपत्र के रूप में निम्नलिखित विवरणों सहित बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करती है, नामतः-

(क) बंध पत्र का नाम

रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आर ई सी) का दस वर्ष डीप डिस्काऊंट बंधपत्र (जीरो कूपन बंधपत्र);

(ख) बंधपत्र की कुल अवधि

दस वर्ष:

(ग) बंधपत्र के जारी करने की समय सीमा

31 मार्च, 2011 को अथवा उससे पहले

जारी किया जाएगा:

(घ) परिपक्वता अथवा निर्मोचन पर बंधपत्र प्रत्येक बंधपत्र के निए तीस हजार रूपए; की दी जाने वाली राशि

(ड.) छुट

4,736.25 करोड

(च) जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की पच्चीस लाख

संख्या

[अधिसूचना सं. २५/(फा.सं. 164/02/2008-आई टी ए-।)]

सेवा में.

प्रबंधक. भारत सरकार प्रैस, रिंग रोड मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, राजौरी गार्डन के समीप, नई दिल्ली।